

न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर - 112/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का देलवाडा

बनाम

श्री सांवरलाल पुत्र मिटूलाल, जाति-मेघवाल, निवासी-दौलतपुरा बलाईयान

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 12/12/19

सारांशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम-देलवाडा, पटवार मण्डल-देलवाडा, तहसील-ब्यावर के खसरा नम्बर 529/166 कुल रकबा किरम-चरागाह में से रकबा 01-01-00 सरकारी चरागाह भूमि पर श्री सांवरलाल पुत्र मिटूलाल, जाति-मेघवाल, निवासी-दौलतपुरा बलाईयान ने अवैध रूप से होटल निर्माण व पार्किंग बनाकर अतिचार करने पर पटवारी हल्का देलवाडा ने उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से वेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम-देलवाडा की सरकारी चरागाह भूमि के ख.नं. 529/166 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से होटल निर्माण व पार्किंग बनाकर रकबे से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पड़ी हो तो जल्द सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वारसे स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रु. 0.30 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रु. 50/- पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी/भू.अभिलेख निरीक्षक को कब्जा/वेदखली/ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार ब्यावर

Scanned by CamScanner

